डिकी मुकदमा इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम
पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

1. कैलाराम पुत्र पूरण तहसील टोडाभीम जिला करौली।
2. भंवरपाल पुत्र रामेत
जातियान मीना निवासी भोपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(वादीगण)

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला कलक्टर करौली जिला करौली।
2. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

(प्रतिवादी)

दावा बावत इन्द्राज दुरूस्ती एवं घोषणा

मु0न0 05/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री राधारमण शर्मा एडवोकेट, मिनकानिब मुदई रूबरू श्री पैरोकार सरकार हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है। कि

अतः दावा वादीगण डिकी किया जाकर आदेश दिये जाते है, कि ग्राम भौपुर की आराजी ख0न0 1478/0.01, 1479/0.23, 1480/0.23, 1483/0.43, 1589/0.57, 340/0.19 कुल किता 6 कुल रकवा 1.66 है0 मे कैलाश के स्थान पर कैलाराम तथा भंवरलाल के स्थान पर भंवरपाल नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टोडाभीम निर्णयानुसार पालना करे।

निज..................मुबलिंग........................बाबत......................खर्चा इस मुकदमे के अदा मय शूद बशरह..................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..............अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 18.02.2021 को जारी की गई।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-करौली

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

/2021 तारीख रजू:– 07.01.2021

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

ाराम पुत्र पूरण तहसील टोडाभीम जिला करौली।
रपाल पुत्र रामेत
तियान मीना निवासी भोपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(वादीगण)

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला कलक्टर करौली जिला करौली।
तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

(प्रतिवादी)

दावा बावत इन्द्राज दुरुस्ती एवं घोषणा
उपस्थिति:– श्री राधारमण शर्मा एडवोकेट वादीगण
पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक:–18.02.2021

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम भौपुर की ाजी ख0न0 1478/0.01, 1479/0.23, 1480/0.23, 1483/0.43, 1589/0.57, 340/0.19 कुल ता 6 कुल रकवा 1.66 है0 मे वादीगण की खातेदारी आराजीयात है। हाल जमाबन्दी सम्वत 75–78 के खाता संख्या 178 मे वादीगण की खातेदीर दर्ज है। अन्य किसी व्यक्ति का उक्त राजीयात से किसी प्रकार का कोई संबध नही है।

उक्त आराजीयात के साबिक ख0न0 730/2 रकवा 1 बीाा 17 बिस्वा, 729 रकवा 1 धा 14 बिस्वा, 731 रकवा 2 बीधा 5 बिस्वा , 177 रकवा 15 बिस्वा रहे है। उक्त तथ्य का इन्द्राज माबन्दी सम्वत 2035–38 जमाबन्दी सम्वत 2039–42 तथा जमाबन्दी सम्वत 2043–62 मे बखूबी र्ज है। राजस्व विभाग के कर्मचारियो ने वादी न0 1 का नाम कैलाराम के स्थान पर कैलाश दर्ज र दिया है तथा वादी न0 2 का नाम भवरपाल के स्थान पर भवरलाल दर्ज कर दिया है जो गलत । वादी न0 1 का वास्तविक नाम कैलाराम तथा वादी न0 2 का वास्तविक नाम भॅवरपाल है। जो के वादीगण के आधार कार्ड, निर्वाचन पहचानपत्र तथा राशनकार्ड से बखूबी स्पष्ट है।

वादीगण ने के.सी.सी. बनवाने के लिये दिनांक 28.12.2020 को जमाबन्दी की नकल निकलवाई तो वादीगण को अशुद्वी का पता चला तो यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा पेश कर अर्ज है कि वादीगण का दावा डिकी किया जाकर ग्राम भौपुर की आराजी ख0न0 1478/0.01, 1479/0.23, 1480/0.23, 1483/0.43, 1589/0.57, 340/0.19 कुल किता 6 कुल रकवा 1.66 है0 मे वादी न0 1 का नाम कैलाश के स्थान पर कैलाराम तथा वादी न0 2 का नाम भंवरलाल के स्थान पर भॅवरपाल दर्ज किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जबाव पेश किया कि ग्राम भोपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 188 मे वर्णित आराजीयात कुल किता 6 कुल रकवा 1.66 है0 मे भंवरलाल पुत्र रामहेत व कैलाश पुत्र पूरण कौम मीना सा. देह दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2035–38 के खाता संख्या 142 मे भवरपाल पुत्र

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-करौली

दर्ज है। आगामी जमाबन्दी सम्वत 2039–42 को बनाते समय लेखनीय भूल से भवरपाल र भवरलाल दर्ज हो गया। अतः भंवरलाल के स्थान पर भवरपाल किया जाना उचित है। माबन्दी सम्वत 2031–34 के खाता संख्या 166, 173 मे भौरया पुत्र रामहेत लाऔलाद से विरासत नामांतकरण न0 95 से भंवरलाल पुत्र रामहेत व कैलाश पुत्र पूरण का नाम वरलाल पुत्र रामहेत एवं भवरपाल पुत्र रामहेत एक ही व्यक्ति है, एवं कैलाश पुत्र पूरण व पुत्र पूरण भी एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः वादीयो के सही नाम कमशः भवरपाल पुत्र कैलाराम पुत्र पूरण है। अतः शुद्व किया जाना उचित है।

वादी ने वादपत्र के समर्थन मे नकल जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 188 की लान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 की नकल, जमाबन्दी सम्वत 2035–38 के खाता संख्या 142 की नकल, सम्वत 2039–42 एवं 2043–62 जमाबन्दी की नकल तथा कैलाराम के आधार 0 7771 6984 7192, निर्वाचन पहचान पत्र कमांक आर.जे./11/088/279004, परिवार ार्ड न0 00421, तथा भवरपाल के आधार कार्ड न0 4108 7302 1056 पहचान पत्र स0 आर. /088/279005, राशनकार्ड न0 00360 पेश किये है।

वादी वकील एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वादी वकील ने वादपत्र मे वर्णित को एवं सलग्न किये दस्तावेजो के अनुसार तथा तहसीलदार टोडाभीम द्वारा की गई अनुशंषा धार पर वादीगण का दावा डिकी कर नाम दुरूस्त करने के आदेश प्रदान करने का कथन पैरोकार सरकार ने जबाब रिपोर्ट मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि वादीगण म विरासत से आराजीयात दर्ज हुई है। कैलाश और कैलाराम तथा भंवरलाल और भंवरपाल ी व्यक्ति है जिनके सही नाम कैलाराम एवं भंवरपाल है। जिन्हे रिकार्ड मे दुरूस्त किया जाना है।

वादी वकील एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो अवलोकन किया। ग्राम भोपुर की जमाबन्दी सम्वत 2035–38 के खाता संख्या 142 की जीयात ख0न0 177, 729, 1005, 1012, 1014, 730/2 मे खातेदारी भंवरपाल पुत्र रामहेत व श पुत्र पूरण जाति मीना हि.ब. के नाम दर्ज है। उक्त खसरा नम्बरान के नवीन ख0न0 340, 3, 1478, 1479, 1480 कायम किये है। नवीन जमाबन्दी बनाते समय भंवरपाल के स्थान पर रलाल दर्ज कर दिया जो जमाबन्दी सम्वत 2075–78 तक चला आ रहा है। भंवरपाल द्वारा प्रस्तुत तावेजो आधार कार्ड न0 4108 7302 1056 पहचान पत्र स0 आर.जे. 11/088/279005, ानकार्ड न0 00360 एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं बहस मे की गई अनुशंषा के आधार भंवरलाल के स्थान पर भंवरपाल दर्ज किया जाना उचित पाता हूँ। तथा कैलाराम पुत्र पूरण द्वारा स्तुत दस्तावेजो आधार कार्ड न0 7771 6984 7192, निर्वाचन पहचान पत्र कमांक आर.जे. 11/088/279004, परिवार राशन कार्ड न0 00421, तथा तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत पोर्ट एवं बहस मे की गई अनुशंषा के अनुसार कैलाश के स्थान पर कैलाराम नाम दर्ज किया जाना चित पाता हूँ।

अतः दावा वादीगण डिकी किया जाकर आदेश दिये जाते है, कि ग्राम भौपुर की आराजी ख0न0 1478/0.01, 1479/0.23, 1480/0.23, 1483/0.43, 1589/0.57, 340/0.19 कुल किता 6 कुल रकवा 1.66 है0 मे कैलाश के स्थान पर कैलाराम तथा भंवरलाल के स्थान पर भंवरपाल नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टोडाभीम निर्णयानुसार पालना करे। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

18/2/21

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला करौली
उपखण्ड अधिकारी
टोडाभीम जिला करौली